## अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रुपये में

### सन्दर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के बजाय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रालय बैंकों और विदेश और वाणिज्य मंत्रालयों सहित हितधारकों के साथ बैठक करेगा।

### पृष्ठभूमि

- 11 जुलाई 2022 को, आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि उसने "आईएनआर में चालान, भुगतान और निर्यात / आयात के निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था करने का फैसला किया है।"
- इसका उद्देश्य "भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देना और आईएनआर में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करना था।"
- जबकि भारत और अन्य देशों के बीच रुपये में व्यापार समझौते की अनुमति देने के कदम को मुख्य रूप से रूस के साथ व्यापार को लाभ के रूप में देखा गया था, इससे डॉलर के बहिर्वाह को रोकने और रुपये के मूल्यह्रास को "सीमित सीमा" तक कम करने में मदद मिलने की उम्मीद थी।

### यह कैसे काम करेगा

- किसी भी देश के साथ व्यापार लेनदेन का निपटान करने के लिए, भारत में बैंक व्यापार के लिए भागीदार देश के संपर्की बैंक/बैंकों के वोस्ट्रो खाते खोलेंगे। भारतीय आयातक इन खातों में अपने आयात के लिए भारतीय रुपये में भुगतान कर सकते हैं।
- आयात से होने वाली इन आय का उपयोग भारतीय निर्यातकों को भारतीय रुपये में भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
- वोस्ट्रो खाता एक ऐसा खाता है जो एक संपर्ककर्ता बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है - उदाहरण के लिए, एचएसबीसी वोस्त्रो खाता भारत में एसबीआई के पास है।

### वर्तमान प्रणाली

- वर्तमान में, नेपाल और भूटान को छोड़कर अन्य किसी देश के साथ निर्यात या आयात हमेशा विदेशी मुद्रा में होता है।
- इसलिए, आयात के मामले में, भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, जो मुख्य रूप से डॉलर है, लेकिन पाउंड, यूरो या येन आदि भी हो सकता है।
- निर्यात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान मिलता है और कंपनी उस विदेशी मुद्रा को रुपये में बदल देती है क्योंकि ज्यादातर मामलों में उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए रुपये की आवश्यकता होती है।

## मोहनजोदड़ो और विश्व धरोहर का दर्जा

### सन्दर्भ

सिंध, पाकिस्तान में अधिकारियों ने साइट पर संरक्षण और बहाली के काम की ओर तत्काल ध्यान देने को कहा है क्योंकि इसे  विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है।

### पृष्ठभूमि

- मोहनजोदड़ो में 10 दिनों में रिकॉर्ड 779.5 मिमी बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप साइट को काफी नुकसान हुआ और स्तूप गुंबद की सुरक्षा दीवार सहित कई दीवारें आंशिक रूप से गिर गईं।
- समाचार रिपोर्टों के अनुसार, डीके क्षेत्र, मुनीर क्षेत्र, स्तूप, पेरिस सीढ़ियां, ग्रेट बाथ और इन खंडहरों के अन्य महत्वपूर्ण स्थल प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
- हड़प्पा सभ्यता का प्रतीक तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के दाहिने (पश्चिम) तट पर विकसित हुआ ।
- इसकी प्रागैतिहासिक पुरातनता 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राखल दास बनर्जी द्वारा स्थापित की गई थी।
- इसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।

### यूनेस्को की विश्व विरासत स्थिति

- विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में सम्मेलन (आमतौर पर 'विश्व विरासत सम्मेलन' के रूप में जाना जाता है) 1972 में यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) के सामान्य सम्मेलन द्वारा अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
- कन्वेंशन का संचालन विश्व धरोहर समिति द्वारा किया जाता है, जो एक निर्वाचित निकाय है जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए, साइटों को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना चाहिए और दस चयन मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना चाहिए।
- इसके 167 सदस्य देशों में लगभग 1,100 यूनेस्को सूचीबद्ध स्थल हैं।
- यूनेस्को खतरे में विश्व धरोहरों की सूची भी रखता है, जो वर्तमान में 52 हैं, जो सशस्त्र संघर्ष और युद्ध, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण, अवैध शिकार, अनियंत्रित शहरीकरण और अनियंत्रित पर्यटक विकास से खतरे में हैं।
- विश्व धरोहर समिति किसी साइट को सूची से हटा देती है यदि गुणों की अपरिवर्तनीय हानि होती है, जो संपत्ति के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का संदेश देती है।

• विश्व धरोहर सूची से हटाए गए एकमात्र स्थल हैं -
अरेबियन ऑरिक्स सैंक्चुअरी, ओमान 2007 में अवैध शिकार और निवास स्थान के नुकसान के बाद।
ड्रेसडेन एल्बे घाटी, जर्मनी 2009 में जब नदी पर चार लेन का मोटरवे पुल बनाया गया था।
लिवरपूल - 2021 में मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी जब एक आधुनिकीकरण विकास परियोजना शुरू की गई थी।

## टीबी मुक्त भारत अभियान

### संदर्भ

राष्ट्रपति 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से जीवंत करने के लिए 9 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वस्तुतः शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन के दौरान, राष्ट्रपति नि-क्षय मित्र पहल का भी शुभारंभ करेंगे।

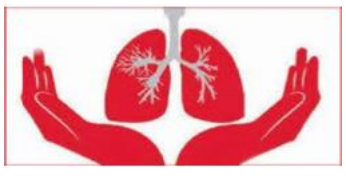

### क्षय रोग के बारे में

• यह एक संक्रामक संक्रमण है जो आमतौर पर आपके फेफड़ों पर हमला करता है।
• यह शरीर के अन्य भागों जैसे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में भी फैल सकता है।
• यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है।
• यह हवा में छोड़ी गयी सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है।

### नि-क्षय मित्र

• यह एक सरकारी परियोजना है जो लोगों को तपेदिक रोगियों को गोद लेने और उनकी पोषण और चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल करने में सक्षम बनाती है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के मामलों में कमी लाना है ।
• भारत में कोई भी व्यक्ति एक डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है जिसे सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया है।
• लक्ष्य टीबी रोगों को कम करना है, जिसे केवल सामुदायिक समर्थन, बेहतर देखभाल और टीबी रोगियों को अपनाने से ही पूरा किया जा सकता है।

## ग्रिप गैस डिसल्फराइजेशन

### सन्दर्भ

बिजली मंत्रालय (MoP) ने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की समय सीमा को दो साल तक बढ़ाने के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) स्थापित करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

### प्रमुख बिंदु

• भारत ने शुरू में सल्फर उत्सर्जन में कटौती के लिए एफजीडी इकाइयों को स्थापित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 2017 की समय सीमा निर्धारित की थी।
• बाद में समय सीमा को अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समय सीमा में बदल दिया गया, पहले यह समय सीमा 2022 थी और पिछले साल इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया।
• 2027 के अंत तक सल्फर उत्सर्जन के मानदंडों का पालन नहीं करने पर बिजली संयंत्रों को जबरन बंद कर दिया जाएगा।
• उच्च लागत, धन की कमी, कोविड-19 संबंधित देरी और चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव, जिसने व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया है, विस्तार के कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है।

### एफजीडी का महत्व

• भारतीय शहरों में दुनिया के सबसे प्रदूषित वायु वाले शहर हैं। भारत वर्तमान में रूस की तुलना में SO2 की मात्रा का लगभग दोगुना उत्सर्जन करता है अर्थात रूस SO2 के उत्सर्जन में दूसरे नंबर पर आता है।
• भारत में हानिकारक SO2 प्रदूषण के उच्च स्तर को बहुत जल्द कम किया जा सकता है क्योंकि फ़्लू-गैस डिसल्फराइज़ेशन सिस्टम चीन में उत्सर्जन के स्तर को कम करने में सफल साबित हुए हैं, जो 2005 में उच्चतम स्तर के लिए जिम्मेदार देश है।

## कर्तव्य पथ

### सन्दर्भ

राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर कार्तव्य पथ (कर्तव्य पथ) रखा जाएगा।

### कार्तव्य पथ के बारे में

• ब्रिटिश शासन के दौरान इसे किंग्सवे कहा जाता था, इसे लगभग 1920 में एडविन लुटियंस और नई दिल्ली के वास्तुकार हर्बर्ट बेकर द्वारा एक औपचारिक बुलेवार्ड के रूप में बनाया गया था।

• रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन से विजय चौक और इंडिया गेट होते हुए मार्ग के दोनों ओर विशाल लॉन, नहरें और पेड़ों की कतारें लगी हुई हैं।

• भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में सड़क का नाम किंग्सवे रखा गया, जो 1911 के दरबार के दौरान दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से राजधानी को स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की थी।

## लंबित मामलों का निपटारा करेगी लोक अदालतें

### संदर्भ

उपभोक्ता मामले मंत्रालय राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए इस साल के अंत में लोक अदालतें आयोजित करने की योजना बना रहा है।

### प्रमुख बिंदु

• सरकार के अनुमान के मुताबिक इन आयोगों में छह लाख मामले लंबित हैं.

• कुल लंबित मामलों में से लगभग 4.5 लाख मामले जिला आयोगों में, 1.4 लाख मामले राज्य आयोगों में और 22,000 से अधिक मामले राष्ट्रीय आयोग में लंबित हैं।

• मंत्रालय इन लंबित मामलों को लेने के लिए समर्पित लोक अदालतों का आयोजन करेगा और लंबित उपभोक्ता मामलों के निपटान के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) के साथ भी चर्चा कर रहा है।

### ई-दाखिल

• मंत्रालय ने कहा कि ई-दाखिल पोर्टल उन पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए एक प्रभावी समाधान के रूप में उभरा है जो अपनी शिकायतों को डिजिटल रूप से दर्ज करने का विकल्प चुनते हैं।

• ई-दाखिल पोर्टल मामलों के तेजी से निपटान की सुविधा प्रदान कर रहा है और मंत्रालय अब ई-सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा बनाने पर भी काम कर रहा है।

• ई-दाखिल पोर्टल को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा 7 सितंबर, 2020 को लॉन्च किया गया था।

• यह उन उपभोक्ताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है जो अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने के लिए समय की कमी का सामना कर रहे हैं।

## अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

## लीजियोनेलोसिस रोग

### सन्दर्भ

अर्जेंटीना के रहस्यमय निमोनिया के प्रकोप को अंततः देश द्वारा लीजियोनेलोसिस के रूप में पहचाना गया है।

### प्रमुख बिंदु

• विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लीजियोनेलोसिस एक सामान्य शब्द है जो लीजियोनेला से होने वाले संक्रमण के न्यूमोनिक और गैर-न्यूमोनिक रूपों का वर्णन करता है।

• दुनिया भर में, जलजनित जीवाणु लीजियोनेला न्यूमोफिला मामलों का सबसे आम कारण है। इसे पहली बार 1977 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1976 में गंभीर निमोनिया के प्रकोप के कारण के रूप में पहचाना गया था।

• गैर-न्यूमोनिक रूप (पोंटियाक रोग) एक तीव्र, स्व-सीमित इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी है। इससे कोई मौत नहीं जुड़ी है। न्यूमोनिक रूप की गंभीरता हल्की खांसी से लेकर तेजी से घातक निमोनिया तक होती है। श्वसन विफलता और/या सदमे और बहु-अंग विफलता के साथ प्रगतिशील निमोनिया के माध्यम से मृत्यु होती है।

• लीजियोनेला के संचरण का सबसे सामान्य रूप दूषित पानी जैसे एसी कूलिंग टॉवर, गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था, ह्यूमिडिफायर और व्हर्लपूल स्पा से दूषित एरोसोल को सांस द्वारा अंदर लेना है।

• उपचार मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

## राम चंद्र मांझी

### सन्दर्भ

भोजपुरी लोक नाट्य कला "लौंडा नाच" के प्रमुख और प्रसिद्ध कलाकार राम चंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया।

प्रमुख बिंदु

• मांझी "भोजपुरी के शेक्सपियर" भिखारी ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध लोक कलाकार और भोजपुरी कवियों की मंडली के सबसे पुराने सदस्य थे। वह भोजपुरी लोक रंगमंच में अच्छे और सार्थक गीतों और प्रदर्शन के कट्टर समर्थक थे।

• संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मांझी कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी थीं।

• लौंडा नाच बिहार की एक प्रमुख भोजपुरी लोक कला है जिसमें गीत, नृत्य, हास्य, व्यंग्य, पैरोडी और रंगमंच शामिल हैं।

## इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं (पश्चिम)

सन्दर्भ

I-STEM (भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का नक्शा) ने WEST नामक एक नई पहल शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

• महिलाओं के लिए अवसर वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन और उन्हें बनाए रखने से लेकर उनके डिजाइन और निर्माण तक हैं।

• पहल के तहत कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को तकनीशियन और रखरखाव इंजीनियर बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जो देश के अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरेगा। यह पहल करियर ब्रेक के बाद महिलाओं को एस एंड टी डोमेन में वापस लाने में भी मदद करेगी।

• इस अनुभव के साथ, महिलाएं आई-एसटीईएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिष्कृत उपकरणों/उपकरणों के संचालन और रखरखाव के लिए सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए उद्यमी बन सकती हैं।

आई-स्टेम के बारे में

• यह एक गतिशील और संवादात्मक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है, जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा शुरू किए गए विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद शोधकर्ताओं को विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान करना और देश के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

## कुशियारा जल संधि

सन्दर्भ

भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के लिए अंतरिम जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख बिंदु

• 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर के बाद से यह पहला ऐसा समझौता है।

• समझौते से दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन में रहने वाले लोगों को लाभ होगा।

• भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं। बराक नदी बांग्लादेश सीमा पर असम के करीमगंज जिले में कुशियारा और सूरमा नदियों में विभाजित होती है।

• कुशियारा पश्चिम की ओर बहती है और असम, भारत और बांग्लादेश के सिलहट जिले के बीच सीमा बनाती है। कुल मिलाकर, कुशियारा लगभग 160 किलोमीटर तक चलता है। इसे कुछ स्थानों पर कालनी नदी के नाम से भी जाना जाता है।

• बांग्लादेश के भैरब बाजार में दो नदियां फिर से मिलती हैं और मेघना नदी बनाती हैं।

## आईटी अधिनियम की धारा 66ए

सन्दर्भ

सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने 2015 में अदालत द्वारा इसे असंवैधानिक ठहराए जाने के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करना जारी रखने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु

• 2015 में, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66ए को पूरी तरह से रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि यह अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।

• अनुभाग एक कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से सूचना भेजने के लिए दंड के संबंध में था जो है:

  - आपत्तिजनक या खतरनाक।
  - मिथ्या , असुविधा, खतरा, बाधा, अपमान, चोट, आपराधिक धमकी, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करना।
  - ऐसे संदेशों की उत्पत्ति के बारे में प्राप्तकर्ता को धोखा देना या गुमराह करना।

• अनुच्छेद 19 (1) (ए) कहता है कि सभी नागरिकों को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। विदेशी राज्यों के साथ, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare